

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 640 / 2009 / जयपुर
2. अपील संख्या 641 / 2009 / जयपुर
3. अपील संख्या 642 / 2009 / जयपुर

4. अपील संख्या 643 / 2009 / जयपुर
5. अपील संख्या 644 / 2009 / जयपुर
6. अपील संख्या 572 / 2009 / जयपुर

मैसर्स आई.टी.सी.लि०,
दुर्लभ निवास, पृथ्वीराज रोड, सी-स्कीम, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवचन, जोन तृतीय, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित:

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह, उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 26 / 04 / 2017

निर्णय

1. उपर्युक्त छः अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों दिनांक 20.03.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचन, जोन-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 61 व 55 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है। जिनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अ.सं.	अ.अ. की अपील सं.	कर निर्घा. आ. दि.	कर निर्धारण अवधि	कर	ब्याज	शास्ति	कुल राशि
640/09	293/2007-08	03.03.2008	1.1.07 से 31.3.07	1,37,473	16,497	2,74,945	4,28,915
641/09	291/2007-08	03.03.2008	1.4.07 से 30.6.07	2,65,808	26,850	5,31,616	8,24,004
642/09	292/2007-08	03.03.2008	1.7.07 से 31.8.07	3,53,242	28,259	7,06,484	10,87,985
643/09	110/2008-09	15.04.2008	1.9.07 से 30.9.07	2,28,810	13,728	4,57,620	7,00,158
644/09	111/2008-09	15.04.2008	1.10.07 से 31.12.07	8,28,215	24,846	16,56,430	25,09,491
572/09	171/2008-09	17.09.2008	1.4.08 से 30.6.08	8,18,420	27,610	16,36,840	24,82,870

2. उक्त सभी छः प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण करने पर पाया कि अपीलार्थी फर्म द्वारा आलोच्य अवधियों में ब्रान्डेड Bingo चिप्स की बिक्री 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है जबकि ब्रान्डेड नमकीन की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाना चाहिए। सशक्त अधिकारी द्वारा Bingo चिप्स को "ब्रान्डेड पोटेटो चिप्स" मानते हुए

लगातार.....2

इसे सामान्य कर दर अर्थात् 12.5 की दर से कर योग्य होना माना है तथा इसकी बिक्री पर 8.5 प्रतिशत की दर से अंतर कर एवं इस कर पर अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज आरोपित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा 8.5 प्रतिशत की दर से कर का अपवंचन किया जाना मानकर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत उक्त अपीलों में शास्तियां आरोपित की गयी हैं। उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिनका निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपीलों को अस्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा पोटेटो चिप्स के विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है वह सही है क्योंकि पोटेटो चिप्स और कुछ नहीं बल्कि प्रसंस्कृत सब्जी है जो कि राजस्थान वेट अधिनियम, 2003 के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 से कवर होती है। इस संबंध में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन 199 / 2009 पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग्स प्रा.लि., जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 31.03.2017 की ओर ध्यानाकर्षण किया। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए, प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशियों को उचित बतलाया तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया व अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा पोटेटो चिप्स (Bingo) का विक्रय किया है तथा अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 के सम्मुख विनिर्दिष्ट कर दर के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया है। जबकि सशक्त अधिकारी द्वारा इसे अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 131 के सम्मुख विनिर्दिष्ट कर दर के अनुसार 12.8 प्रतिशत मानकर कर का आरोपण किया है।

7. इस क्रम में अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 एवं 131 को यहां उद्धरित किया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है:-

“107. Processed or preserved vegetable and fruits including fruit jem, jelly, pickle, fruit sqash, paste, fruit frink and fruit juice, sharbat and thandai.”

“131. Sweatmeat (Deshi) and unbranded namkeen including dried potato chips.”

8. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन 199 / 2009 पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग्स प्रा.लि., जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 31.03.2017 के पैरा संख्या 19, 20, एवं 22 के अनुसार.....

(19.) After analyzing the judgments referred to hereinbefore, in my view, it cannot be disputed that Potato is a vegetable, and after going through the process of slicing, frying and spicing, “Potato Chips” does not cease to be a

vegetable. It is irrelevant as to whether it becomes a snack item or not, but then it does not take a snack item outside the entry of 'Processed Vegetables'. The characteristics of Potato does not change and merely because by processing Potato, "Potato Chips" are produced/manufactured, in my view, it will certainly remain as Potato and would be a 'Processed Vegetable'.

(20.) Material is available on record that the Ministry of Food Processing Industry has understood processing of Potato Wafers or Chips as Vegetable Processing Industry and even the Govt. of India has understood "Potato Chips" to be a Vegetable Product for the purposes of classification under the Central Excise Tariff Act.

(22.) Analysing the above, "Potato Chips" can certainly be taken within the definition of 107 taking within its compass all other species including "Potato Chips" belonging to the common genus of the 'Processed Vegetables', and if any particular item is classifiable under a specific entry in a Schedule, such item or commodity must not be relegated to the Residuary entry. Even if common parlance test is applied, it can always be noticed that it would certainly fall within the category of 'Processed Vegetables'.

उपरोक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के उक्त दृष्टांत से पूर्णतया आच्छादित है एवं इसे अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 में माना गया है। अतः समान तथ्यों पर आधारित इस निर्णय के अनुसार ब्रांडेड पोटेटो चिप्स की कर दर 4 प्रतिशत होना अवधारित करते हुये अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाता है।

9. अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सभी छः अपीलें स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य



(खेमराज)
अध्यक्ष